(To be published in Part-I Section of Gazette of India, Extra ordinary)

File No 14/24/2015-DGAD
Government of India
Department of Commerce
Ministry of Commerce & Industry
(Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties)
4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street

Dated the 1st January, 2016

INITIATION NOTIFICATION

Subject: Initiation of Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of "Aluminium Radiators, Aluminium Radiator Sub- Assemblies and Aluminum Radiator Core" originating in or exported from China-reg.

F. No. 14/24/2015-DGAD: M/s Banco Products (India) Ltd. (hereinafter referred to as 'petitioner' or " the applicant") has filed an application (also referred to as petition) before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) for initiation of Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of "*Aluminium Radiators, Aluminium Radiator Sub- Assemblies and Aluminum Radiator Core, including in CKD or SKD conditions, for use in used/on road vehicles and generator sets, excluding aluminum radiators meant for use in new automobiles" (hereinafter also referred to as subject goods) from China PR (hereinafter also referred to as subject country).*

2. AND WHEREAS, the Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between the dumping and injury exists to justify initiation of an anti-dumping investigation. The Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rule 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Domestic Industry & Standing

3. The application has been filed by M/s Banco Products (India) Ltd. As per the details furnished, the applicant accounts for a major proportion of the total domestic production of the subject goods constituting more than 69% of Indian production. On the basis of available information the Authority notes that the applicant company constitutes a major proportion in Indian production. The Authority, therefore, determines that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of the Rule 2 (b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

Product under consideration

4. The product under consideration in the present petition is "*Aluminium Radiators, Aluminium Radiator Sub -Assemblies and Aluminum Radiator Core, including in CKD or SKD conditions, for use in used/on road vehicles and generator sets, excluding aluminum radiators meant for use in new automobiles*". Aluminium Radiators are classified in Chapter 87 under customs subheading no. 87089100 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975. However, the said Customs classification

is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

Like Articles

5. The petitioner has submitted that there is no known difference in product produced by the petitioner and exported from the subject country. Both products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical characteristics, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification, etc. Comparison of essential product properties in respect of domestic product and imported product would show that the goods produced by the domestic industry are identical to the imported goods in terms of essential product properties.

6. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.

Subject Country

7. The country involved in the present investigation is China PR

Normal value

8. In view of the Non-market economy claims by the petitioner the Authority has prima facie considered the Constructed Normal Value in China, based on cost of manufacturing the subject goods, in terms of Para 7 & 8 of the Annexure 1 to the said Rules as amended. However, the individual exporters may rebut this presumption and the Authority shall examine the market economy claims of individual exporters in terms of the relevant Rules.

Export Price

9. The petitioner has submitted that even though the product under consideration has a dedicated customs classification, the information published by the DGCIS could not be adopted for determination of volume and value of imports of product concerned in India as segregation of subject goods for various vehicles was not possible. The petitioner has procured transaction-wise information on imports of the product under consideration from IBIS. There is sufficient prima facie evidence of export price of the subject goods in the subject countries. During the course of investigation, the Authority will also analyse transaction-wise import data from Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics (DGCI&S).

Dumping Margin

10. The applicant has provided sufficient evidence that the normal values of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the net export prices, prima-facie indicating that the subject goods originating in or exported from the subject countries are being dumped, to justify initiation of an antidumping investigation.

Injury and Causal Link

11. The applicant has claimed that they have suffered material injury and have furnished evidence regarding injury having taken place as a result of the alleged dumping from subject countries in terms of increase in imports in absolute terms, decline in production, sales, capacity utilization, deterioration in profits, and return on capital employed and cash profit etc. The applicant has also claimed adverse price effects as

evidenced by price suppression. The Authority considers that there is sufficient evidence of 'injury' being suffered by the applicant caused by dumped imports of subject goods from subject country to justify initiation of an antidumping investigation.

Period of Investigation

12. The period of investigation for the present investigation is from 1st April 2014 to 31st March 2015. However, the injury investigation period will cover the periods April 2011-March 2012, April 2012 to March 2013, April 2013 to March 2014 and the Period of Investigation (POI).

Submission of information

13. The known exporters in the subject countries and their Governments through their Embassies in India, importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time-limit set out below and write to:

The Designated Authority,
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties
4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street
New Delhi110001

Time limit

14. Any information relating to this investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of publication of this notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their findings on the basis of the 'facts available' on record in accordance with the AD Rules.

Submission of Information on Non-Confidential basis

15. All interested parties shall provide a confidential and non-confidential summary in terms of Rule 7 (2) of the AD Rules for the confidential information provided as per Rule 7 (1) of the AD Rules. The non-confidential version or non-confidential summary of the confidential information should be in sufficient detail to provide a meaningful understanding of the information to the other interested parties. If in the opinion of the party providing information, such information is not susceptible to summary; a statement of reason thereof is required to be provided.

16. Notwithstanding anything contained in para above, if the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.

Inspection of Public File

17. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

18. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

(A.K.Bhalla)

Designated Authority

भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

फाईल संख्या 14/24/2015-डीजीएडी

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

.-.-.-.-.-.-.-.

दिनांक : 1 जनवरी, 2016

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

विषय : **चीन जनवादी गणराज्य मूल के अथवा वहां से निर्यातित *'एल्यूमिनियम रेडिएटर, एल्यूमिनियम रेडिएटर सब असेम्बलीज तथा एल्यूमिनियम रेडिएटर कोर'* के आयातों से संबंधित मामले में पाटन-रोधी जांच की शुरूआत ।**

फा. संख्या 14/24/2015-डीजीएडी : - यत: समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटन-रोधी शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है), के अनुसार मेसर्ज बानको प्रोडक्टस (इंडिया) लिमिटिड (जिसे एतद्पश्चात 'आवेदक', 'याचिकादाता' या घरेलू उद्योग भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतद्पश्चात 'प्राधिकारी' भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें उसने चीन जनवादी गणराज्य (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पुराने *वाहनों अथवा जेनेरेटर सैट में इस्तेमाल के लिए सीकेडी अथवा एसकेडी स्थितियों सहित एल्यूमिनियम रेडिएटर, एल्यूमिनियम रेडिएटर सब असेम्बलीज तथा एल्यूमिनियम रेडिएटर कोर, जिनमें नए आटोमोबाइल में इस्तेमाल के लिए बनाए गए एल्यूमिनियम रेडिएटर शामिल नहीं हैं ।"* (जिसे जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तुएं कहा गया है) के आयातों से संबंधित मामले में पाटन-रोधी जॉच की शुरूआत करने का अनुरोध किया है ।

2. और यत: प्राधिकारी यह पाते हैं कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन होन और घरेलू उद्योग को उनसे हो रही "क्षति" के पर्याप्त प्रथम दृष्टया प्रमाण हैं तथा पाटन और "क्षति" के बीच कारणात्मक संबंध हैं, जो कि पाटन-रोधी जांच शुरूआत करने के लिए यथोचित हैं । प्राधिकारी एतदद्वारा पाटन-रोधी नियमावली के नियम 5 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार कथित पाटन होने और घरेलू उद्योग को उससे होने वाली परिणामी क्षति की जांच की शुरूआत करते हैं ताकि किसी भी कथित पाटन के विद्यमान होने, उसकी मात्रा और प्रभाव का पता लगाया जा सके और पाटन-रोधी शुल्क की राशि, जो कि यदि ऐसा पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाता है, तो उससे घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश की जा सके ।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

3. आवेदन पत्र मेसर्ज बानको प्रोडक्ट्स (इंडिया) लिमिटिड द्वारा प्रस्तुत किया गया है । रिकार्ड में उपलब्ध प्रमाण के अनुसार संबद्ध वस्तुओं के कुल घरेलू उत्पादन में आवेदक का मुख्य अंशदान होता है, जो कि भारतीय उत्पादन का 69% से भी अधिक अंश बनता है । उपलब्ध सूचना के अनुसार प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक कंपनी का भारतीय उत्पादन में मुख्य अंशदान होता है । इसलिए प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि आवेदक नियम 2 (ख) में उल्लिखित परिभाषा के भीतर घरेलू उद्योग बनता है और आवेदक पाटन-रोधी नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार घरेलू उद्योग की स्थिति के मानदंड को पूरा करता है ।

विचाराधीन उत्पाद

4. मौजूदा याचिका में विचाराधीन उत्पाद, चीन जनवादी गणराज्य मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पुर।ने *वाहनों अथवा जेनेरेटर सैट में इस्तेमाल के लिए सीकेडी अथवा एसकेडी स्थितियों सहित एल्यूमिनियम रेडिएटर, एल्यूमिनियम रेडिएटर सब असेम्बलीज तथा एल्यूमिनियम रेडिएटर कोर, जिनमें नए आटोमोबाइल में इस्तेमाल के लिए बनाए गए एल्यूमिनियम रेडिएटर शामिल नहीं हैं ।*" एल्युमिनियम रेडिएटरों को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची - 1 के उप-शीर्ष संख्या 87089100 के अंतर्गत अध्याय 87 में वर्गीकृत किया गया है । तथापि, सीमा शुल्क विभाग का उक्त वर्गीकरण निर्देशात्मक मात्र है और यह मौजूदा जांच के कार्य-क्षेत्र में किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है ।

समान वस्तुएं

5. आवेदक ने निवेदन किया है कि याचिकादाता द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है । दोनों उत्पादों की भौतिक विशेषताओं, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमतों, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण आदि जैसे प्राचलों के रूप में तुलनीय विशेषताएं हैं । घरेलू उत्पाद और आयातित उत्पाद के संबंध में अत्यावश्यक उत्पाद लक्षणों की तुलना करने से ऐसा पता चलता है कि अत्यावश्यक उत्पाद लक्षणों के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुएं आयातित वस्तुओं के समान ही हैं ।

6. इसलिए मौजूदा जांच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदक द्वारा निर्मित की जा रहीं संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के समनुरूप "समान वस्तुएं" माना जा रहा है ।

<u>संबद्ध देश</u>

7. मौजूदा जांच में शामिल देश चीन जनवादी गणराज्य है ।

<u>सामान्य मूल्य</u>

8. याचिका दाता द्वारा किए गए गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के दावे को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने प्रथम दृष्टया यथा संशोधित उक्त नियमावली के अनुबंध - 1 के पैरा 7 और 8 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार संबद्ध वस्तुओं के विनिर्माण की लागत के आधार पर चीन में संरचित सामान्य मूल्य पर विचार किया है । तथापि, पृथक निर्यातक ऐसी अवधारणा का खंडन कर सकते हैं और प्राधिकारी संबद्ध नियमों के अनुसार ऐसे पृथक निर्यातकों के बाजार अर्थव्यवस्था के दावों की जांच करेंगे ।

<u>निर्यात कीमत</u>

9. याचिकादाता ने यह निवेदन किया है कि हालांकि विचाराधीन उत्पाद का कटिबद्ध सीमा शुल्क का वर्गीकरण विद्यमान है, इसलिए भारत में संबंधित उत्पाद के आयातों की मात्रा और मूल्य का निर्धारण करने के लिए डीजीसीआईएस द्वारा प्रकाशित सूचना को अपनाया नहीं जा सकता है क्योंकि विभिन्न वाहनों के लिए संबद्ध वस्तुओं का पृथक्करण संभव नहीं है । याचिकादाता ने आईबीआईएस से विचाराधीन उत्पाद के आयातों की कारोबार-वार सूचना प्राप्त की है । संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत के पर्याप्त प्रथम दृष्टया प्रमाण हैं । जांच की प्रक्रिया के दौरान प्राधिकारी वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) के सौदावार आयात आंकड़ों का भी विश्लेषण करेंगे ।

पाटन मार्जिन

10. आवेदक ने इस आशय के पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य, निबल निर्यात कीमतों से काफी अधिक हैं, जिनसे प्रथम दृष्टया ऐसा पता चलता है कि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यात की जा रही संबद्ध वस्तुओं को पाटित किया जा रहा है, जो कि पाटन-रोधी जांच की शुरूआत को यथोचित सिद्ध करता है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

11. आवेदन ने यह दावा किया है कि उसे सामग्री गत क्षति हुई है और उसने संपूर्ण आयातों में वृद्धि होने से, उत्पादन, बिक्रियों, क्षमता उपयोग में गिरावट आने से, लाभ और लगाई गई पूंजी के प्रतिलाभ और नकदी लाभ आदि में गिरावट आने से संबद्ध देश से कथित पाटन किए जाने के परिणामस्वरूप उसको होने वाली क्षति के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत किए हैं । आवेदक ने कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पडने का भी दावा किया है, जो कि कीमत ह्रास से पता चलता है । प्राधिकारी यह मानते हैं कि ऐसे पर्याप्त प्रमाण विद्यमान हैं, जिनसे यह पता चलता है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण आवेदक को "क्षति" हो रही है और ये प्रमाण पाटन-रोधी जांच की शुरूआत को यथोचित सिद्ध करते हैं ।

जांच की अवधि

12. मौजूदा जांच के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015 तक होगी । तथापि, क्षति की जांच की अवधि में अप्रैल 2011 - मार्च, 2012, अप्रैल 2012 - मार्च, 2013, अप्रैल 2013 - मार्च, 2014 तक की अवधि और जांच की अवधि (पीओआई) शामिल होगी ।

सूचना प्रस्तुत करना

13. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों को और भारत में उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देश की सरकार को, भारत में उत्पाद से संबंधित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को तथा घरेलू उद्योग को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे समस्त संबद्ध सूचना को निर्धारित प्रपत्र में और यथा निर्धारित तरीके प्राधिकारी को उनके निम्निलखित पते पर प्रेषित कर सकें । कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संबद्ध अपने लिखित निवेदन, निर्धारित समय-सीमा के भीतर निम्नलिखित पते पर भेज सकता है :-

निर्धारित प्राधिकारी,

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001

<u>समय सीमा</u>

14. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में भेजी जानी चाहिए जो कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस (40 दिन) दिनों से पूर्व उपयुक्त पते पर प्राधिकारी के पास पहुंच जानी चाहिए । यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त हुई सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटन-रोधी नियमों के अंतर्गत रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।

<u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

15. सभी हितबद्ध पक्षकारों को पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7 (1) के अनुसार प्रदत्त की गई गोपनीय सूचना के लिए पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7 (2) के अनुसार गोपनीय और अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा । गोपनीय सूचना के अगोपनीय वृतान्त अथवा अगोपनीय सारांश में पर्याप्त ब्यौरे निहित होने चाहिए ताकि उन्हें अन्य हितबद्ध पक्षकार सार्थक रूप से समझ सकें । यदि सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार का ऐसा विचार है कि ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो उस स्थिति में उसके कारण का एक विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ।

16. उपरोक्त पैरा में निहित किसी भी व्यवस्था के बावजूद यदि प्राधिकारी इस तथ्य से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता को बनाए रखने का अनुरोध किया जाना आवश्यक नहीं है अथवा सूचना प्रदायक, सूचना को सार्वजनिक किए जाने अथवा सूचना को सामान्य तरीके से अथवा उसको सारांश के रूप में प्रकट करने के लिए प्राधिकृत करने के प्रति अनिच्छुक है, तो ऐसी स्थिति में ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकता है ।

<u>सार्वजनिक फाईल का निरीक्षण</u>

17. नियम 6 (7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाईल का निरीक्षण कर सकता है, जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय वृतान्त रखे गए हैं ।

असहयोग

18. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है और उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा उन्हें जैसा भी उपयुक्त लगता है, केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

(ए. के. भल्ला)
निर्दिष्ट प्राधिकारी